

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 13/2531 / एक-15-1 / 96

शिवपुरी, दिनांक 27 / 06 / 2025

प्रतिलिपि यथाआदेश :-

श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 518 दिनांक 26.06.2025 से प्राप्त माह जुलाई-2025 एवं अगस्त-2025 हेतु "रिमाण्ड ड्यूटी आदेश" माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक-

शिवपुरी दिनांक-

—:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::—

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जुलाई-अगस्त 2025 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ :-

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह जुलाई-अगस्त 2025 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1-	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी।	शिवपुरी	13-07-2025
2-	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	27-07-2025 02-08-2025 03-08-2025
3-	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	19-07-2025 20-07-2025 31-08-2025
4-	सुश्री निहारिका व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	06-07-2025 24-08-2025 27-08-2025
5-	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	15-08-2025 16-08-2025 17-08-2025
6-	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	05-07-2025 09-08-2025 10-08-2025

7-	श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	05-07-2025 06-07-2025 31-08-2025
8-	श्री भूपेंद्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	15-08-2025 16-08-2025 17-08-2025
9-	श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	27-07-2025 24-08-2025 27-08-2025
10-	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	19-07-2025 20-07-2025 09-08-2025 10-08-2025
11-	श्री रज्जेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	13-07-2025 02-08-2025 03-08-2025
12-	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	05-07-2025 06-07-2025 09-08-2025 10-08-2025 15-08-2025
13-	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	13-07-2025 27-07-2025 16-08-2025 17-08-2025 31-08-2025
14-	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	19-07-2025 20-07-2025 02-08-2025 03-08-2025 24-08-2025 27-08-2025
15-	श्री राहुल दुबे, न्यायिक	कोलारस	13-07-2025

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी		09-08-2025 10-08-2025 27-08-2025
16-	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	05-07-2025 06-07-2025 02-08-2025 03-08-2025 24-08-2025
17-	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	19-07-2025 20-07-2025 27-07-2025 15-08-2025 16-08-2025 17-08-2025 31-08-2025
18-	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	13-07-2025 19-07-2025 20-07-2025 02-08-2025 03-08-2025 09-08-2025 10-08-2025
19-	सुश्री काजल नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	05-07-2025 06-07-2025 27-07-2025 15-08-2025 16-08-2025 17-08-2025 24-08-2025 27-08-2025 31-08-2025
20-	श्रीमती आरती गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी	खनियाधाना	19-07-2025 20-07-2025 27-07-2025

			02-08-2025 03-08-2025 09-08-2025 10-08-2025 31-08-2025
21-	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी।	खनियाधाना	05-07-2025 06-07-2025 13-07-2025 15-08-2025 16-08-2025 17-08-2025 24-08-2025 27-08-2025

नोट :-

01. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की ही मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. यदि माह जुलाई-अगस्त 2025 में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्री धर्मवीर सिंह राठौर, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी

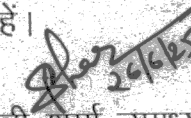
के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्रीमती रजनी मीरोठा, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्री रज्नेश पाल, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में सुश्री मोनिका वर्मा, जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में श्रीमती अंजली पटेल, जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।

03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।
05. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन किया जाना है, वह उक्त कार्य हेतु अपने न्यायालय के दो सक्षम कर्मचारी जो कि, शीघ्रता से कार्यवाही का निष्पादन कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान उपस्थित होने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करके उनके सहयोग से कार्य का निष्पादन कर सकेंगे।
06. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।

नोट:- रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेंट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।

अनुमोदित


(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)


(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.